न्यायालय, जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर
(विधि–व्यवस्था कोषांग)
बिहार सरकार
E-mail Id : dm-buxar.bih@nic.in, Ph. (06183) 222335(Res.), 222336 (Off.) Fax No. (06183) 222231(Res.), 226935 (Off.)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन, 2021 की घोषणा दिनांक 24.08.2021 को की गयी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। **दिनांक 03.11.2021 को बक्सर जिला के बक्सर प्रखण्ड में पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित षष्ठम् चरण का मतदान तिथि निर्धारित है।** इस अवधि में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा सामाजिक विद्वेष की भावना फैलाने, असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है।

सरकार के संयुक्त सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार, पटना के ज्ञापांक–जी/आपदा–06–02/2020–**7109** दिनांक 24.09.2021 के द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु लागू प्रतिबंधो को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए **दिनांक 26.09.2021 से 15.11.2021 तक** आवश्यक दिशा–निदेश दिये गए है।

अतः उपर्युक्त पृष्ठभूमि में मैं **अमन समीर, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी, बक्सर** संतुष्ट होकर दिनांक 03.11.2021 को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बक्सर प्रखण्ड अन्तर्गत निम्नांकित आदेश जारी करता हूँ :–

01. किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होंगे। यह आदेश शादी, बारात, पार्टी, शव–यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र–छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
02. सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी रात्रि 10:00 से सुबह 06:00 बजे तक वर्जित रहेगा।
03. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर–धनुष, लाठी, भाला, गंड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। परन्तु –
    (क) यह आदेश परम्परागत ढ़ंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि–व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
    (ख) यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर निर्गत किए गए या किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।
04. कोई भी व्यक्ति या संगठन, व्यक्ति विशेष के विरूद्ध सामग्री का अथवा इस प्रकार के पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। यह आदेश सभी प्रकार के सोशल मीडिया माध्यमों के लिए भी लागू रहेगा।

05. कोई भी व्यक्ति या संगठन, किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़कायेंगे।

06. कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।

07. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार–प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।

08. बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति निजी भूमि, भवनों, चहारदीवारी, वाहनों आदि पर चुनाव संबंधी झण्डा/पोस्टर नहीं लगायेंगे। किसी भी अभ्यर्थी अथवा उनके कार्यकत्ताओं या समर्थकों द्वारा पोस्टर चिपकाकर, नारे लिखकर या झंडा लगाकर किसी निजी, सार्वजनिक अथवा सरकारी भवन को विरूपित करना पूर्णतः निषिद्ध है।

09. कोई भी व्यक्ति या संगठन, इस प्रकार का कोई कार्य/आयोजन नहीं करेंगे जो गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विरूद्ध हो।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय के मुहर से दिनांक 03.11.2021 को मतदान समाप्ति तक जारी रहेगा।

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी बक्सर

29/10/21

जिला दण्डाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10-0185 /वि0व्य0को0 दिनांक 29/10/21

प्रतिलिपि :– वितंतु पर्यवेक्षक, बक्सर को वितंतु संवाद हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– थानाध्यक्ष/अंचलाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी पुलिस निरीक्षक, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि उक्त आशय की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित थानाध्यक्ष/अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी बक्सर

29/10/21

जिला दण्डाधिकारी,
बक्सर।